

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज उनवान सरकार बनाम <u>रेश राम सरदार</u> 128 L.R.</p>	<p>नंबर अहका हुक्म व में जारी</p>
<p>4/6/19</p>	<p>मुकदमा नं० 18/18 निर्णय दि०..... 27/6/19</p> <p>पत्रावली नं० 31 19/6/19 पत्रावली नं० 31 दफ्तरी द्वारा कार्य स्थगत/ राज्य कार्य में व्यस्त/ दौरे पर होना से, जनरल तारीख पेशी लगा दी गई। पत्रावली दिमांक..... 27/6/19 को पेश हो।</p> <p>27/6/19 पत्रावली पेश हुई। दफ्तरी द्वारा कार्य स्थगत/P.O. सा. राज्य कार्य में व्यस्त/ दौरे पर होना से, जनरल तारीख पेशी लगा दी गई। पत्रावली दिमांक..... 27/6/19 को पेश हो।</p>	
<p>27/06/19</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। दफ्तरी द्वारा कार्य स्थगत/P.O. सा. राज्य कार्य में व्यस्त/ दौरे पर होना से, जनरल तारीख पेशी लगा दी गई। पत्रावली दिमांक..... 27/6/19 को पेश हो।</p> <p>पत्रावली पेश हुई। दफ्तरी द्वारा कार्य स्थगत/P.O. सा. राज्य कार्य में व्यस्त/ दौरे पर होना से, जनरल तारीख पेशी लगा दी गई। पत्रावली दिमांक..... 27/6/19 को पेश हो।</p> <p>पत्रावली पर उपलब्ध नकल जमावदी से विवादित भूमि कादी/प्राचीन स्वतंत्रकारी भूमि होना साबित हो गई। प्राचीन अपनी उक्त स्वतंत्रकारी भूमि पत्थरगठी कराना चाहती हैं। न्यायद्वारा उक्त भूमि का सीमाशान करके पत्थरगठी कराना जाना उचित प्रतीत होता है।</p> <p>अतः प्राचीन का प्रार्थना पत्र 128 L.R. में स्वीकार किया जाता है तथा विवादित भूमि का नं० 465 रुकवा 0.4700 हे० वाले रामा गठेरा तहसील सिकराय का निपभावुसाए शुल्क लेकर पत्थरगठी किए जाने से आदेश तहसीलदार सिकराय को दिए जाते हैं। पत्रावली फैसला सुमाए होवर नम्बर से संभ हो।</p>	

31 27/6/19
 उपखण्ड अधिकारी
 सिकराय जिला-दोसा